न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/2018/1854

प्रकरण कमांक / 2018 निगरानी

1– शिशुपाल सिंह आयु–48 वर्ष,
2– राजाराम आयु– 49 वर्ष,
3– राजपाल आयु–39 वर्ष, पुत्रगण श्री संजम सिंह
4– संजम सिंह पुत्र श्री होरल सिंह, जाति–यादव, आयु–84 वर्ष,
समस्त निवासीगण–ग्राम चुरारी तहसील चन्देरी जिला अशोक नगर, म0प्र0

.....**अपीलार्थी**

बनाम

1– बलराम सिंह आयु– 50 वर्ष
2– रतीभान सिंह, आयु– 43 वर्ष,
पुत्रगण अनरत सिंह, जाति यादव
3– धनकुंवर बाई आयु– 59 वर्ष,
पुत्री अरनत सिंह
4– हनुमंत सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद,
आयु– 69 वर्ष
5– सरनाम सिंह पुत्र श्री हनुमंत सिंह,
आयु– 47 वर्ष,
6– आधार सिंह पुत्र समरथ सिंह,
आयु– 48 वर्ष,
7– शीला बाई आयु– 64 वर्ष
8– भान कुंवर बाई आयु–60 वर्ष, पुत्रिया समरथ सिंह
9– सौभाग्य सिंह आयु– 47 वर्ष, पुत्र रामसिंह
10– सुहाग बाई, आयु– 49 वर्ष,
11– उर्मिला बाई, आयु– 28 वर्ष पुत्रिया श्री रामसिंह
12– संग्राम सिंह पुत्र संजम सिंह, आयु 56 वर्ष –2

13– जूजाबाई बेवा सुक्का जाति कुम्हार, आयु 71 वर्ष, समस्त निवासीगण ग्राम–चुरारी, तह०–चन्देरी, अशोकनगर.

14– म0प्र0 शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक, पटवारी ग्राम चुरारी, तहसील चन्देरी, जिला अशोक नगर म0प्र0

...............रेस्पोडेन्टगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भूरा0संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27/12/2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 481/2014–15 अपील शिशुपाल सिंह आदि बनाम बलराम सिंह आदि जिसके द्वारा अपीलार्थीगण की अपील निरस्त की गई।

श्रीमान जी,

अपीलार्थीगण की ओर से निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित संक्षिप्त तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत हैः–

//निगरानी के संक्षिप्त तथ्य//

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चन्देरी जिला अशोक नगर म0प्र0 ने प्र.क्रं. 11/06–07 अ–27 बलराम बनाम हनुमंत सिंह आदि आदेश दिनांक 30/09/2009 द्वारा कृषि भूमि का बटवारा स्वीकार किया। इस न्यायालय में आवेदकगण बलराम आदि ने खेत सिंह पुत्र हमीरा जाति कुम्हार अनावेदक कमांक 14 जिसका स्वर्गवास 1995 में हो चुका था, को पक्षकार बनाते हुए आवेदन बटवारा प्रस्तुत किया। इसी प्रकार दौरान विचारण प्रकरण अनावेदक कमांक 6 लाड़कुंवर तथा अनावेदक कमांक 10 प्रेमबाई दोनो के स्वर्गवास होने के बाबजूद उन्हे पक्षकार बनाये रखा, तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उसी स्थिति में दिनांक 30/09/2009 को अंतिम आदेश पारित कर दिया।

2– यहकि, उक्त बटवारा प्रकरण में अपीलार्थीगण कमांक 01 लगायत 3 को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वे तीनों बटवारा की जाने वाली भूमि पर रिकार्डेड भूमि स्वामी थे।

3– यहकि, अपीलार्थी कमांक 4 संजम सिंह को अधीनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा बटवारा प्रकरण में कोई तामील नहीं कराई, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के आवेदकगण बलराम व रतीभान ने तामील कुनिंदा से मिल मिलाकर अपीलार्थी संजम सिंह की फर्जी तामील, फर्जी हस्ताक्षर बना या

(6)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2018/1854

शिशुपाल विरूद्ध बलराम

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी0एस0 बघेल उपस्थित। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2- यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 481/2014-2015/अपील में पारित आदेश दिनांक 27-12-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराए जाकर पुन: उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया है। 4- आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27.12.17 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ विद्वान अपर आयुक्त द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में विधिवत विधिसंमत एवं सारगर्भित व्याख्या करते हुए आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में विस्तृत व्याख्या की गयी है	

जिसे इस आदेश में पुन: उल्लेखित कर पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी व्याख्या एवं विश्लेषण इस आदेश का अंग होगा। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानून संमत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य